बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इस लिये भारत सरकार द्वारा बच्चों की सर्वपरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये किशोर न्याय एक्ट 2015, पोक्सो एक्ट आदि को पारित किया गया है। इन्हं लागु करने के लिये जिला बाल सरक्षण इकाई, अन्य विभागों के समन्वय के साथ साथ स्वयं सेवक से भी सेवाय ले सकता है। ये इकाई अनाथ, बेसहारा, सरअण्डर बच्चों के सरक्षण हेतू मुख्य तौर पर कार्य कर रही है। इस लिये इकाई से सम्बन्धित कार्यों व किये गये कार्यों को इलैक्ट्रनिक मीडिया की सहायता से आम जन तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है, तांकि इन बच्चों के सरक्षण हेतू कोई भी स्वयं सेवक अपनी पहुंच इस इकाई के साथ आसानी से बना कर सेवायें दे सके। यह कार्य माननीय उपायुक्त महोदय व इकाई के स्टाफ के सहयोग से सम्भव हो पाया है। अगर किसी बच्चे के साथ शोषण होता पाये तो तुरन्त चाइल्ड हैल्प लाईन टोल फी न0 1098 पर कॉल करें या जिला बाल सरक्षण इकाई, सिरसा के कार्यालय में सम्पर्क करें।

'बच्चे हैं' अनमोल रत्न, आओ इनकी सुरक्षा का करें यत्न'

> जिला बाल सरंक्षण अधिकारी, सिरसा।

Children are the future of any country and for this Indian Government has passed JJ Act 2015, POCSO Act etc. To ensure the security of children and to implement this act District Child Protection Unit coordinates with other department and can have services of volunteers. This unit is specifically working for the protection of orphan, abandoned and surrendered children with the help of electronic media the related work of the Unit and the work done by this Unit is communicated to the message. So that for the protection of such children, volunteers can accesses this unit easily and give their services to them.

This work is possible with the cooperation of Honorable Deputy Commissioner and staff members of this Unit. If a person find any kind of exploitation with any child immediately call Child helpline toll free number 1098 or contact the office of District Child Protection Unit Sirsa.

District Child Protection Officer Sirsa